

गाड़ी सेवा प्रदाता के लिए निविदा दस्तावेज़

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि: 11-05-2026, शाम 05:00 बजे तक।

JCI RO DHB
Ro.dhb@jcimail.in

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय: गौरीपुर

निविदा सूचना

संदर्भ संख्या: जेसीआई/जीआरपी/आरएलडी/निविदा/कार/2026-27/003

दिनांक: 20/04/2026

विषय: कार किराये पर लेने की सेवा हेतु एजेंसियों के पैनल में शामिल करने के लिए निविदा आमंत्रण

भारतीय पटसन निगम लिमिटेड, गौरीपुर आरएलडी, भारतीय पटसन निगम लिमिटेड के आधिकारिक उपयोग के लिए कार किराये पर लेने हेतु अनुभवी, प्रतिष्ठित और अग्रणी पर्यटन और यात्रा एजेंसियों को नियुक्त करना चाहता है। बोली लगाने वालों से अनुरोध है कि वे अपनी तकनीकी बोली, निर्धारित नियमों और शर्तों, बयाना राशि (ईएमडी), और संबंधित सत्यापित दस्तावेजों (जैसे बरतन नंबर, ट्रेड लाइसेंस, जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र - यदि लागू हो, और एमएसई अधिकारियों द्वारा जारी वैध एमएसई प्रमाण पत्र - यदि लागू हो) के साथ जमा करें। बोली में अपना पूरा नाम और संपर्क विवरण स्पष्ट रूप से अंकित करें। सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर और मुहर लगी होनी चाहिए। बोली 11/05/2026 को शाम 05:00 बजे से पहले "क्षेत्रीय प्रबंधक", गौरीपुर आरएलडी (जैसा कि निविदा दस्तावेज में दिए गए पते पर उल्लेखित है) को संबोधित करते हुए, इस बोली दस्तावेज के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्रों में जमा की जानी चाहिए। यह नियुक्ति प्रारंभ में कार्य आदेश जारी होने की तिथि से दो वर्षों की अवधि के लिए होगी।

क्षेत्रीय प्रबंधक
गौरीपुर क्षेत्रीय कार्यालय

❖ निविदा का विवरण इस प्रकार है:

1.	काम का प्रकार	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गौरीपुर आरएलडी के आधिकारिक उपयोग के लिए विभिन्न प्रकार की कारों को किराए पर लेने के लिए एजेंसियों का पैनल
2.	निविदा दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि	11-05-2026 शाम 05.00 बजे तक।

3.	निविदा खोलने की तिथि	13-05-2026 दोपहर 12.00 बजे। यदि कोई छुट्टी उसी तारीख को पड़ती है, तो निविदा अगले कार्य दिवस पर खोली जाएगी।
4.	प्रस्तुत करने का पता	निविदा बॉक्स। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड गौरीपुर आरएलडी वार्ड नंबर 1, धुबरी जिला आरएमसी कार्यालय के पास पीओ और पीएस- गौरीपुर जिला- धुबरी (असम)- 783331
5.	जमा करने के लिए दस्तावेजों का तरीका	हाथ से या डाक/कूरियर से। लिफाफे को संदर्भ संख्या के साथ अंकित किया जाना चाहिए। और तारीख।
6.	प्रश्नों के लिए संपर्क करें	7002264868 / 8906384043

❖ काम का दायरा:

- एक.** मंत्रालय/एचओ/आरओ अधिकारियों या गणमान्य व्यक्तियों के लिए आवश्यक आधार पर कार सेवाओं की व्यवस्था करना।
दो. सेवा प्रदाता को आवश्यकता पड़ने पर (यानी 30 मिनट के भीतर) कम सूचना अवधि पर कार प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।

❖ निविदा जमा करने की प्रक्रिया:

इच्छुक और पात्र पक्षकारों से अनुरोध है कि वे दो बोली प्रणाली, तकनीकी बोली (अनुलग्नक-II) और वित्तीय बोली (अनुलग्नक-III) में अपनी निविदा प्रस्तुत करें। निविदा में उल्लिखित आवश्यक दस्तावेजों द्वारा विधिवत भरे और समर्थित अनुलग्नकों को दो अलग-अलग लिफाफों में प्रस्तुत किया जाना है, जिसमें "तकनीकी बोली" के रूप में लिखा गया है, जिसमें अन्य सहायक दस्तावेजों के साथ अनुलग्नक-II और "वित्तीय बोली" जिसमें अनुबंध - III विधिवत मुहरबंद और विक्रेता द्वारा हस्ताक्षरित है, दोनों लिफाफों को एक अन्य सीलबंद लिफाफे में रखा जाना है, जिसमें "कार किराया सेवा के लिए एजेंसियों के पैनल के लिए निविदा" लिखा हुआ है। जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गौरीपुर आरएलडी के साथ निविदाकर्ता का नाम और पता भी जारी किया गया है। निविदाओं की तकनीकी बोली पहले खोली जाएगी और फिर केवल उन्हीं निविदाओं की मूल्य बोली खोली जाएगी जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करते हैं।

❖ पात्रता मानदंड:

- अ.** सेवा प्रदाता का पंजीकृत कार्यालय/कोई भी स्थानीय कार्यालय या तो गौरीपुर/धुबरी या उसके आस-पास के क्षेत्र में स्थित होना चाहिए। पंजीकृत कार्यालय/स्थानीय कार्यालय के समर्थन में आवश्यक दस्तावेज/प्रमाण पत्र स्व-सत्यापित प्रदान किए जाने चाहिए।
- आ.** साझेदारी सेवा प्रदाताओं के मामले में, साझेदारी समझौते की एक प्रति, या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत की जानी चाहिए। सेवा प्रदाता के पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।
- इ.** सेवा प्रदाता के पास प्रतिष्ठित निजी कंपनियों/सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों, निगमों/केंद्र और राज्य सरकार के विभागों को उक्त सेवा प्रदान करने का कम से कम तीन साल का अनुभव होना चाहिए।
- ई.** सेवा प्रदाता का अपना निगम बैंक खाता होना चाहिए। कॉर्पोरेट खाते की अनुपलब्धता के मामले में, खाता मालिक के नाम पर होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य संलग्न किए जाने हैं।
- उ.** सेवा प्रदाता के पास कार सेवाएं प्रदान करने के लिए असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल का पूरा नेटवर्क होना चाहिए।
- ऊ.** सेवा प्रदाता को 24x7 सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए।
- ऋ.** सेवा प्रदाता को निगम द्वारा आवश्यक होने पर सामान्य कार्य दिवसों के अलावा शनिवार/रविवार/छुट्टियों के दिन सेवाएं प्रदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- ऌ.** सेवा प्रदाता के पास वैध पैन, व्यापार लाइसेंस, जीएसटी (यदि कोई हो) और यदि एमएसएमई, प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए नाम, पता, और उन ग्राहकों का संपर्क विवरण जहां सेवा प्रदान की जा रही है या प्रदान की जानी है।
- एँ.** बोलीदाता की ओर से जेसीआई में किसी को भी प्रभावित करने के लिए कोई भी कार्य, किसी भी तरीके से, बोली की अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी है। इससे बोलीदाता को काली सूची में डाला जा सकता है। किसी भी रूप में प्रचार करने के लिए आगे के विचार से अयोग्यता की आवश्यकता होती है।

- ऐ. इस निविदा में निहित आवश्यकता (आवश्यकताओं) का अनुपालन नहीं करने वाले दस्तावेजों को अस्वीकार कर दिया जाएगा और इसके किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ए. पैनल में शामिल विक्रेताओं को जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा काली सूची में नहीं डाला गया है या किसी अन्य कंपनी द्वारा संविदा को जेसीआई या किसी अन्य कंपनी द्वारा समाप्त नहीं किया गया है। बोलीदाता के लेटरहेड में इस मामले के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रदान की जानी चाहिए।

❖ सामान्य नियम और शर्तें:

- अ. सेवा प्रदाता केवल अच्छी तरह से बनाए रखी गई कारों प्रदान करेगा, जो अंदर और बाहर ठीक से साफ की गई हों और अच्छी स्वच्छता की स्थिति में हों। सीट आरामदायक होनी चाहिए। सीटें हमेशा साफ-सुथरी और अच्छी गुणवत्ता वाले सीट कवर और तौलिये से ढकी होनी चाहिए। कारों को डेंट/क्षतिग्रस्त नहीं किया जाना चाहिए। यदि वाहन गंदी या जर्जर स्थिति में पाया जाता है तो कोई भुगतान नहीं किया जाएगा।
- आ. कारों को अप-टू-डेट रोड टैक्स, फिटनेस सर्टिफिकेट (सीएफ), प्रदूषण प्रमाण पत्र के साथ होना चाहिए और व्यापक रूप से बीमा किया जाना चाहिए और केंद्र / राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा समय-समय पर लागू और संशोधित प्रदूषण नियंत्रण मानदंडों का पालन करना चाहिए।
- इ. सेवा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोजित ड्राइवर वैध ड्राइविंग लाइसेंस रखते हैं, अच्छी तरह से प्रशिक्षित, अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, उचित रूप से शिक्षित हैं, और यातायात नियमों/विनियमों और शहर की सड़कों/मार्गों के साथ-साथ सुरक्षा निर्देशों से परिचित हैं।
- ई. मोटर वाहन अधिनियम के अनुपालन के अनुसार प्रत्येक कार में बीमा कवरेज के साथ एक पंजीकरण संख्या होगी।
- उ. सेवा प्रदाता द्वारा नियोजित प्रत्येक ड्राइवर के पास एक सेल फोन विधिवत सक्रिय होना चाहिए जिसे हमेशा चालू किया जाना चाहिए और स्थानीय भाषा से परिचित होना चाहिए।
- ऊ. सेवा प्रदाता के पास चौबीसों घंटे संपर्क करने के लिए पर्याप्त संख्या में टेलीफोन होने चाहिए और इन्हें इस कार्यालय को सूचित किया जा सकता है। सेवा प्रदाता के पास 24x7 बुकिंग लेने का प्रावधान होना चाहिए।
- ऋ. एक बार अंतिम रूप दिए जाने के बाद दौरे पैनल की अवधि के लिए निर्धारित की जाएंगी और ईंधन की कीमतों में दरों में ऊपर/नीचे की ओर परिवर्तन के मामले में इनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
- लृ. सेवा प्रदाता द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन के खराब होने के कारण उत्पन्न होने वाला कोई भी ओवरटाइम उसके खर्चे में होगा और उससे शुल्क नहीं लिया जाएगा। खराबी के मामले में, सेवा प्रदाता तुरंत प्रतिस्थापन वाहन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।
- एँ. सेवा प्रदाता द्वारा प्रदान किए गए ड्राइवर को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना चाहिए:
- अ. आरटीओ द्वारा जारी वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए।
- आ. धूम्रपान नहीं करना चाहिए; गाड़ी चलाते समय पान/पान मसाला/तंबाकू चबाएं।
- इ. असम, मेघालय और पश्चिम बंगाल के आस-पास के क्षेत्रों के प्रमुख शहरों के भीतर सभी सरकारी भवनों और महत्वपूर्ण सड़कों के मार्गों से परिचित होना चाहिए।
- ई. अपनी कार में यात्रा करने वाले अधिकारियों की सुरक्षा और संरक्षा के प्रतिकूल किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए।
- ऐ. निगम की देयता अनुबंध में सहमत भर्ती शुल्क तक सीमित होगी। पैनल या बाद के अनुबंध में बोलीदाता/सेवा प्रदाता को किसी भी न्यूनतम व्यापार गारंटी का आश्वासन नहीं दिया गया है।
- ए. ड्राइवर को आवश्यक आधार पर माइलेज का उचित रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए और उपयोगकर्ता अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा इसे प्रमाणित करवाना चाहिए।
- ऐ. निगम द्वारा उपरोक्त निर्धारित शर्तों के अलावा किसी भी अतिरिक्त नियम और शर्तों पर विचार नहीं किया जाएगा।
- ऑ. वास्तविक पार्किंग शुल्क/टोल शुल्क मासिक बिलों के साथ केवल पार्किंग बिल/टोल रसीदें आदि जमा करने पर ही देय होंगे।
- ओ. यदि संपर्ककर्ता प्रस्तावों को प्रस्तुत करने और उसकी उचित स्वीकृति के बाद यानी अनुबंध के पुरस्कार के बाद, इन निविदा दस्तावेजों के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, या अपनी संपर्क अवधि को पूरा करने में विफल रहता है या किसी भी समय अनुबंध को अस्वीकार कर देता है, तो निगम के पास कार किराए पर लेने के प्रस्तावों के पैनल को हटाने का अधिकार होगा।
- ओ. कभी-कभी, निगम को किसी भी सम्मेलन/बैठक के संबंध में विशिष्ट दिनों में अतिरिक्त संख्या में वाहनों की आवश्यकता हो सकती है। सेवा प्रदाता को वाहनों की अतिरिक्त मांग की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार होना चाहिए।

- औ. निगम निविदा समाप्त करने से पहले किसी भी स्तर पर विनिर्देशों/आवश्यकताओं को बदलने का अधिकार सुरक्षित रखता है, लेकिन बोलीदाताओं को उचित सूचना देने के बाद।
- अं. सेवा प्रदाता निगम द्वारा / निगम द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा मांग किए जाने पर वातानुकूलित और गैर-वातानुकूलित वाहन जैसे स्विफ्ट डिजायर या समकक्ष, महिंद्रा स्कोर्पियो/बोलेरो/टोयोटा इनोवा या समकक्ष, आदि प्रदान करेगा।
- अः. प्रत्येक वाहन से संबंधित व्यापक बीमा, पंजीकरण, सड़क कर, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, परमिट, वैध लाइसेंस आदि से संबंधित दस्तावेज प्रत्येक वाहन में/चालकों के पास आसानी से उपलब्ध होंगे।
- अअ. सेवा प्रदाता के पास निगम को प्रदान किए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में आपातकालीन परिवहन/टूरिंग सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था करने की क्षमता होगी और निगम के अधिकारियों को प्रदान किए गए वाहन के खराब होने की स्थिति में आपातकालीन परिवहन/टूरिंग सुविधा प्रदाताओं की व्यवस्था करने वाले सरकार/बीमा सेवा प्रदाता के साथ संपर्क करने में भी सक्षम होना चाहिए।
- आआ. सेवा प्रदाता द्वारा नियुक्त व्यक्ति सेवा प्रदाता के कर्मचारी होंगे और न तो सेवा प्रदाता और न ही उनके कर्मचारियों को निगम में किसी भी रोजगार का दावा करने का कोई अधिकार होगा।
- इइ. सेवा में देखी गई कमियों के मामले में जैसे कि कार बुकिंग की सूचना के बाद वाहन नहीं भेजना, तो प्रति दिन आनुपातिक राशि या निगम या उसके अधिकारी/अतिथि द्वारा किए गए वास्तविक खर्च, जो भी अधिक हो, को सेवा प्रदाता के बिल से काट लिया जाएगा।
- ईई. इस निविदा/एनआईटी के किसी अन्य उपाय और शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सेवा प्रदाता वाहन (वाहनों) के खराब होने की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी करेगा। विफलता के मामले में, ऐसा करने के लिए सेवा प्रदाता उपरोक्त सीमा के अधीन इस संबंध में किए गए सभी खर्चों की भरपाई के लिए जिम्मेदार होगा (प्रति दिन आनुपातिक राशि या निगम या उसके अधिकारी/अतिथि द्वारा किए गए वास्तविक खर्च, जो भी अधिक हो)। निगम के पास सेवा प्रदाता को देय किसी भी बिल से ऐसी राशि काटने का अधिकार होगा। इस संबंध में निगम का निर्णय अंतिम होगा और सेवा प्रदाता के लिए बाध्यकारी होगा।
- उउ. निगम किसी भी सूचीबद्ध सेवा प्रदाता के मामले की समीक्षा करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिसकी सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं और यहां तक कि उसका अनुबंध भी रद्द कर देती हैं।
- ऊऊ. वाहन को निर्धारित रिपोर्टिंग समय से कम से कम 30 मिनट से 1 घंटे पहले निर्दिष्ट रिपोर्टिंग बिंदु पर रिपोर्ट करना होगा। समय पर रिपोर्टिंग अनिवार्य है और वाहन विक्रेता द्वारा इसका सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। निर्धारित रिपोर्टिंग समय से अधिक देरी के मामले में, इस तरह की देरी के कारण निगम द्वारा किए गए किसी भी नुकसान, व्यवधान या वित्तीय प्रभाव को वाहन विक्रेता द्वारा पूरी तरह से वहन किया जाएगा और मुआवजा दिया जाएगा।
- ऋऋ. 10 किलोमीटर की अधिकतम छूट दूरी या वास्तविक किलोमीटर जो कम है, गैरेज-आउट और गैरेज-इन के लिए लागू होगी।
- ल्ल. सफल बोलीदाता की पुष्टि के बाद बयाना राशि को सुरक्षा जमा के साथ समायोजित किया जाएगा।

❖ भुगतान की शर्तें:

1. चालक की लॉगबुक/ड्यूटी स्लिप को सत्यापित किए बिना कोई भुगतान नहीं किया जाना चाहिए, जिस पर निगम के उपयोगकर्ता अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। बिल का भुगतान इस रिकॉर्ड को प्रस्तुत करने के अधीन होगा, जिसे वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
2. निगम इस रुचि की अभिव्यक्ति के खंड 5 में उल्लिखित जब्ती के अधीन पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी भुगतान को रोकने के लिए स्वतंत्र होगा।
3. वाहन का उपयोग करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कार के उपयोग की ड्यूटी पर्ची के साथ विधिवत हस्ताक्षरित बिल प्रस्तुत किए जाएंगे।
4. यदि किसी भी अवसर पर यह पाया जाता है कि किसी वाहन के चालक ने ड्यूटी/यात्रा शुरू करने या बंद करने के समय और किलोमीटर रीडिंग से संबंधित ड्यूटी स्लिप में गलत प्रविष्टियां की हैं, तो सेवा प्रदाता इसके लिए जिम्मेदार होगा। कार्यालय ऐसे वाहन के संबंध में दिन का पूरा भुगतान रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
5. भुगतान की शर्तों को संशोधित किया जा सकता है जब निगम उचित और आवश्यक समझे।
6. समय-समय पर लागू करों और शुल्कों के कारण बिलों से आवश्यक कटौती की जाएगी।
7. जीएसटी अधिनियम के अनुसार ई-चालान के उत्पन्न न होने के लिए बोलीदाता द्वारा अपने लेटरहेड पर घोषणा प्रदान की जाएगी।

❖ जब्ती खंड:

सेवा प्रदाता द्वारा कार्य को निष्पादित करने में विफल रहने की स्थिति में, निगम की संतुष्टि के लिए किसी भी समय किराए के आधार पर कारों की आपूर्ति, निगम का सक्षम प्राधिकारी अनुबंध को रद्द करने या सेवा प्रदाता को देय भुगतान को आंशिक या पूर्ण रूप से रोकने और सुरक्षा जमा को जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यदि कोई हो।

❖ अनुबंध की अवधि:

पैनल अनुबंध के पुरस्कार की तारीख से शुरू में दो (2) वर्षों के लिए वैध होगा और पार्टियों की आपसी सहमति से इसे एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कारों की आपूर्ति के लिए अनुमोदित दरों में वृद्धि के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। निगम आवेदनों को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखने के अलावा किसी भी नियम और शर्तों को जोड़ने/हटाने/संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। पैनल के लिए आवेदन स्वीकार करने से अनुबंध के पुरस्कार की गारंटी नहीं होगी।

❖ किसी भी निविदा को स्वीकार करने और किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार:

निगम किसी भी निविदा को स्वीकार करने या अस्वीकार करने और निविदा प्रक्रिया को रद्द करने और अनुबंध के पुरस्कार से पहले किसी भी समय सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है, जिससे बोलीदाताओं को कोई दायित्व नहीं मिलता है या उसका कोई कारण नहीं बताया जाता है। इसके अलावा, शर्त बोलियों को सही तरीके से खारिज कर दिया जाएगा।

❖ सुरक्षा जमा और ईएमडी:

बोलीदाता नीचे दी गई तालिका में निर्धारित सुरक्षा जमा और बयाना राशि जमा के रूप में एक राशि जमा करेंगे:

एसएल नंबर	अस्थायी अनुबंध मूल्य	सुरक्षा जमा (निविदा मूल्य का 5%) निविदा।	बयाना धन जमा - (निविदा मूल्य का 2%) निविदा।	टिप्पणियां
01.	3 लाख तक (±50%)	₹ 15,000/- (पंद्रह हजार रुपये) केवल	₹6,000.00 (छह हजार रुपये) केवल।	प्रतिभूति जमा जमा न करने पर प्रतिभूति जमा राशि रद्द की जाएगी

अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर सुरक्षा जमा जमा करने में सफल बोलीदाता की विफलता पुरस्कार को रद्द करने, निगम के सभी भविष्य की निविदाओं से ऐसे बोलीदाताओं को काली सूची में डालने के लिए पर्याप्त आधार बनाएगी।

अनुबंध की अवधि पूरी होने के बाद ही पैनल में शामिल सेवा प्रदाता को प्रतिभूति जमा राशि जारी की जाएगी, जब वह अनुबंध के सफल समापन से संतुष्ट हो जाएगा और यह सुनिश्चित कर लिया जाएगा कि सेवा प्रदाता या उसके कर्मचारियों की ओर से कोई देनदारी देय नहीं है। किसी भी शिकायत या लंबित बकाया राशि के मामले में, सुरक्षा जमा केवल तभी जारी किया जाएगा जब उक्त देय राशि सेवा प्रदाता द्वारा भुगतान की जाती है, शिकायत का समाधान किया जाता है।

❖ अनुबंध पर हस्ताक्षर:

सफल बोलीदाता न्यूनतम दरों की स्वीकृति के लिए लिखित संचार के 15 दिनों के भीतर 100 रुपये से कम मूल्य के गैर-न्यायिक स्टॉप पेपर पर निगम के साथ एक समझौते को निष्पादित करेंगे। स्टॉप शुल्क सेवा प्रदाता द्वारा वहन और भुगतान किया जाएगा। पैनल शुरू में दो साल की अवधि के लिए होगा, अर्थात्, अनुबंध के पुरस्कार की तारीख से, जिसे उसी दर, नियम और शर्तों पर अधिकतम अवधि (एक बार में एक वर्ष) के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि निगम द्वारा आयोजित की जाने वाली वार्षिक समीक्षा के आधार पर सहमति व्यक्त की गई है, जो सेवा प्रदाता द्वारा समझौते के नियमों और शर्तों के संतोषजनक प्रदर्शन और अनुपालन के अधीन है।

❖ वैधानिक अनुपालन:

सेवा प्रदाता को ईपीएफ, ईएसआई और अन्य श्रम कानूनों के संबंध में सभी देनदारियों के खिलाफ निगम को क्षतिपूर्ति करने के लिए आवश्यक कागज पर 'क्षतिपूर्ति बांड' प्रदान करने की आवश्यकता होगी, जिसमें मोटर वाहन अधिनियम/नियमों और समय-समय पर लागू किसी भी अन्य कानून से उत्पन्न होने वाले किसी भी मुद्दे और देनदारियां शामिल हैं। सेवा प्रदाता को निम्नलिखित तरीके से क्षतिपूर्ति देनी चाहिए: - " मैं/हम इसके द्वारा भारतीय जूट निगम लिमिटेड को किसी भी नुकसान और क्षति के लिए क्षतिपूर्ति करने और क्षतिपूर्ति करने का वचन देते हैं, जो पीएफ/ईएसआई/श्रम कानूनों और/या मोटर वाहन अधिनियम/नियमों से संबंधित या उससे संबंधित हो सकती है या होने की संभावना है, और समय-समय पर लागू होने वाले कोई अन्य कानून। यह अधोहस्ताक्षरी/सेवा प्रदाता, कानूनी प्रतिनिधियों, निष्पादकों और अधोहस्ताक्षरी/सेवा प्रदाता के उत्तराधिकारियों के लिए बाध्यकारी रहेगा।

❖ मौखिक या लिखित उपक्रम तब तक बाध्यकारी नहीं होता है जब तक कि औपचारिक न हो:

इस निविदा और/या अनुबंध या इसके किसी भी नियम को छोड़ने, बदलने या पूरक करने वाली कोई भी मौखिक या लिखित व्यवस्था निगम पर तब तक बाध्यकारी नहीं होगी जब तक कि इसे औपचारिक साधन में अनुमोदित या शामिल नहीं किया जाता है।

❖ प्रतिनिधित्व और वारंटी:

प्रत्येक पक्ष प्रतिनिधित्व करता है और गारंटी देता है कि,

1. इस निविदा/समझौते में उल्लिखित कार्य में प्रवेश करने और उसे पूरा करने का पूरा अधिकार, शक्ति और अधिकार है और इस निविदा/समझौते को निष्पादित करने के लिए सभी आवश्यक और उपयुक्त कॉर्पोरेट या अन्य कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत किया गया है और इस निविदा/समझौते की तारीख पर है।
2. किसी अन्य व्यक्ति/कंपनी/या किसी अन्य प्राधिकरण के साथ इसकी कोई पूर्व प्रतिबद्धता, व्यवस्था या समझौता नहीं है जो इस निविदा/समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में हस्तक्षेप कर सकता है या रोक सकता है।
3. इसके पास अपेक्षित अनुभव, ज्ञान, विशेषज्ञता, क्षमता, जनशक्ति की उपलब्धता, और बुनियादी ढांचा (पूर्वगामी सभी को बढ़ाने की क्षमता और क्षमता के साथ) परियोजनाओं के लिए सेवाओं को प्रभावी ढंग से और उचित रूप से प्रदान करने के लिए आवश्यक है, जैसा कि यहां प्रदान किए जाने के लिए सहमति व्यक्त की गई है।
4. यह वैश्विक गुणवत्ता मानकों को पूरा करने वाले कौशल, परिश्रम और क्षमता के मानक के साथ इस निविदा/समझौते के तहत बिना किसी सीमा के भुगतान दायित्वों सहित अपने दायित्वों का पालन करेगा और व्यवसाय/उद्योग में प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करेगा।
5. इसमें लागू कानूनों के तहत आवश्यक सभी आवश्यक लाइसेंस और परमिट हैं और इस अनुबंध की कोई भी शर्त लागू कानून के तहत उल्लंघन या चूक के साथ संघर्ष नहीं करती है, या किसी भी अदालत या सरकारी प्राधिकरण के किसी भी आदेश, रिट, निषेधाज्ञा, या डिक्ली या किसी भी समझौते, लिखित या मौखिक, जिसके लिए यह एक पार्टी है।

❖ अधित्याग-पत्र:

इस निविदा/समझौते के किसी भी प्रावधान को लागू करने के लिए किसी भी समय किसी भी पक्ष की विफलता, किसी भी तरह से दूसरे पक्ष द्वारा पूर्ण प्रदर्शन की आवश्यकता के बाद उसके अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी। इसके अलावा, किसी भी प्रावधान के किसी भी उल्लंघन की छूट को बाद के किसी भी उल्लंघन के लिए छूट नहीं माना जाएगा। कोई भी छूट केवल तभी मान्य होगी जब इसे लिखित रूप में दर्ज किया गया हो और निगम के अधिकृत अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो।

❖ उप-सेवा प्रदाताओं की नियुक्ति:

अनुबंध के तहत किसी भी कार्य को पूरा या आंशिक रूप से पूरा करने के लिए सेवा प्रदाता द्वारा किसी भी उप-सेवा प्रदाता/एजेंट को नियुक्त नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि निगम विशेष रूप से लिखित रूप में मंजूरी देता है, तो उप-सेवा प्रदाता/एजेंट को इस निविदा/समझौते के लिए नियुक्त किया जा सकता है।

❖ अप्रत्याशित घटना:

यहां किसी भी पक्ष को इसके तहत अपने कर्तव्यों या दायित्व का उल्लंघन या चूक करने वाला माना नहीं जाएगा, यदि उल्लंघन किसी भी पार्टी के नियंत्रण से परे किसी कार्य के कारण या परिणाम के कारण होता है, जिसमें किसी भी युद्ध, या शत्रुता, सार्वजनिक शत्रु का कार्य, नागरिक हंगामा, तोड़फोड़, दुर्घटनाएं शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। आग, बाढ़, विस्फोट, महामारी, संगरोध प्रतिबंध, हड़ताल, तालाबंदी, या भगवान के कार्य बशर्ते कि ऐसी घटनाओं की सूचना किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को घटना की तारीख से सात तारीखों के भीतर दी जाए।

❖ **क्षतिपूर्ति:**

सेवा प्रदाता एतद्वारा निगम को सभी जुर्माना, मुकदमे, दावों, मांगों, हानि, व्यय, लागत, शुल्क, और कार्यों (सहित, बिना किसी सीमा के, वकील की फीस, लागत और व्यय) से संबंधित क्षतिपूर्ति करता है और हानि करता है या परिसर में या इमारत में या परिसर में या पार्किंग क्षेत्रों में या पार्किंग क्षेत्रों में या सेवा प्रदाता के कृत्यों या चूक के कारण संपत्ति की हानि से संबंधित है, इसके एजेंटों, कर्मचारियों, आमंत्रित, या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सेवा प्रदाता के व्यक्त या निहित आमंत्रण के तहत भवन, परिसर, या संबंधित सुविधाओं में प्रवेश करना।

❖ **सूचना:**

इस निविदा/समझौते के तहत या अन्यथा कार्य के संबंध में अनुमत या आवश्यक सभी नोटिस या रिपोर्ट लिखित रूप में होंगी और इस समझौते के अंत में निर्धारित पते पर या ऐसे अन्य पते पर भेजी जाएंगी जैसा कि कोई भी पक्ष व्यक्तिगत वितरण द्वारा या मान्यता प्राप्त कूरियर सेवाओं, स्पीड पोस्ट या पंजीकृत डाक द्वारा लिखित रूप में निर्दिष्ट कर सकता है, आदि।

❖ **समाप्ति और संशोधन:**

निगम किसी अन्य उपाय या उल्लंघन के लिए दावे के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना

अनुबंध, सेवा प्रदाता को डिफॉल्ट की कम से कम 15 (पंद्रह) दिनों की लिखित सूचना देकर, अनुबंध को पूर्ण या आंशिक रूप से समाप्त कर देता है।

अ. यदि सेवा प्रदाता अनुबंध के किसी भी नियम और शर्तों का उल्लंघन करता है।

आ. यदि सेवा प्रदाता अनुबंध में निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी या सभी सेवाओं को प्रदान करने में विफल रहता है या निगम द्वारा लिखित रूप में दिए गए किसी भी विस्तार में।

इ. यदि सेवा प्रदाता, उपरोक्त में से किसी भी परिस्थिति में, निगम से डिफॉल्ट नोटिस प्राप्त होने के 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपनी विफलता का समाधान नहीं करता है।

ई. यदि निगम के निर्णय में सेवा प्रदाता अनुबंध को पूरा करने या निष्पादित करने में भ्रष्ट या कपटपूर्ण प्रथाओं में लगा हुआ है। इस घटना में कि निगम अनुबंध को पूरी तरह या आंशिक रूप से समाप्त कर देता है, निगम ऐसी शर्तों पर और इस तरह से ऐसी सेवाएं प्राप्त कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है, और सेवा प्रदाता ऐसी समान सेवाओं के लिए किसी भी जोखिम और लागत के लिए निगम के प्रति उत्तरदायी होगा।

उ. निगम किसी भी उल्लंघन के अभाव में भी इस समझौते को समाप्त कर सकता है और दूसरे पक्ष को 30 दिनों का नोटिस दिया जा सकता है।

ऊ. इस समझौते के नियमों और शर्तों को आवश्यकता पड़ने पर दोनों पक्षों की आपसी सहमति से संशोधित किया जा सकता है।

❖ **समय सार का है:**

समय इस समझौते और उसके हर हिस्से के सार का होगा।

❖ **विवाद समाधान और शासी कानून:**

इस निविदा/समझौते से उत्पन्न होने वाले पक्षों के बीच किसी भी प्रकार का विवाद, मतभेद, या विवाद, विवाद को पहली बार में पार्टियों के बीच चर्चा/बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, इस समझौते के तहत या उसके संबंध में या इस निविदा/समझौते के निर्माण, अर्थ, दायरे, प्रदर्शन, संचालन या प्रभाव या वैधता या उल्लंघन, जिसे 15 दिनों के भीतर सौहार्दपूर्ण ढंग से हल नहीं किया गया है, को छूने या उससे संबंधित सभी प्रश्न, विवाद और/या मतभेद, ऐसे मामले या मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा। मध्यस्थ (यहां पार्टियों के कर्मचारी के अलावा) दोनों पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से नियुक्त होने वाला एकमात्र मध्यस्थ होगा 15 दिन, जिसमें विफल रहने पर एकमात्र मध्यस्थ को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार नियुक्त किया जाएगा 1996 जैसा कि संशोधित किया गया है और एकमात्र मध्यस्थ का निर्णय/पुरस्कार अंतिम होगा और पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा। मध्यस्थता की भाषा अंग्रेजी होगी, और मध्यस्थता की सीट धुबरी में होगी।

यदि मध्यस्थ द्वारा पारित अधिनिर्णय पर आक्षेप लगाया जाता है/न्यायालय के समक्ष भेजा जाता है, तो यह विशेष रूप से धुबरी के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। इस समझौते की व्याख्या और निर्माण भारतीय कानूनों का पालन करते हुए किया जाएगा और इस समझौते से उत्पन्न होने वाले किसी भी मामले पर केवल धुबरी के न्यायालयों के पास विशेष अधिकार क्षेत्र होगा।

❖ **गोपनीयता:**

निविदाओं के मूल्यांकन से संबंधित जानकारी बोलीदाताओं या किसी अन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं की जाएगी जो आधिकारिक तौर पर प्रक्रिया से संबंधित नहीं है, जब तक कि अनुबंध के पुरस्कार की जानकारी सभी बोलीदाताओं को सूचित नहीं की जाती है या चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। प्रक्रिया से संबंधित गोपनीय जानकारी के किसी भी बोलीदाता द्वारा अनुचित उपयोग के परिणामस्वरूप उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। निगम की पूर्व लिखित सहमति को छोड़कर, कोई भी पक्ष किसी भी समय किसी भी व्यक्ति या संस्था को अनुबंध के दौरान प्राप्त किसी भी गोपनीय जानकारी के बारे में नहीं बताएगा।

❖ निविदाओं का स्पष्टीकरण:

बोलीदाताओं की निविदाओं और पात्रता की परीक्षा, मूल्यांकन और तुलना में सहायता करने के लिए, निगम, अपने विवेक पर, किसी भी बोलीदाता से अपनी निविदा के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकता है, और बोलीदाता को जवाब देने के लिए उचित समय प्रदान कर सकता है। बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत कोई भी स्पष्टीकरण जो निगम द्वारा नहीं मांगा गया है, उस पर विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण और प्रतिक्रिया के लिए निगम का अनुरोध लिखित रूप में होगा। निविदा की कीमत या पदार्थ में कोई बदलाव नहीं मांगा जाएगा, पेश नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी, सिवाय निविदा के मूल्यांकन में निगम द्वारा देखी गई अंकगणितीय त्रुटियों के सुधार के। यदि कोई बोलीदाता निगम द्वारा दी गई तारीख और समय से पहले निगम द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण प्रदान नहीं करता है, तो उसकी निविदा बिना किसी और सूचना के और बिना कोई कारण बताए अस्वीकार कर दी जाएगी।

❖ निगम के अधिकार:

1. निगम बिना कोई कारण बताए कार्य के दायरे को एक से अधिक सेवा प्रदाता तक विभाजित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इसके कारण निगम द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।
2. यहां निर्दिष्ट नियम और शर्तें सांकेतिक हैं। यह निगम को सफल बोलीदाता के साथ समझौते को निष्पादित करने के समय इस तरह के आगे या अन्य नियमों और शर्तों पर सहमत होने के लिए बोलीदाता को लागू करने या आवश्यक करने से नहीं रोकेगा, या यहां निहित नियमों और शर्तों को बदलने, संशोधित करने या छोड़ने के लिए, जैसा कि इस निविदा के तहत दिए जा रहे कार्य के उचित और उचित निष्पादन के लिए आवश्यक माना जाता है।
3. सेवा प्रदाता या उसके एजेंटों/कर्मचारियों/ड्राइवर्स जो यहां उल्लिखित नियमों और शर्तों का उल्लंघन करते हैं और/या असंतोषजनक सेवाएं प्रदान करते हैं, निगम की राय में, निगम की राय में, बिना किसी नोटिस या उसके बदले किसी मुआवजे के तुरंत सुरक्षा जमा राशि को जब्त करने और/या समझौते को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।
4. निगम पैलन में शामिल एजेंसियों को न्यूनतम मात्रा में काम प्रदान करने की कोई गारंटी नहीं देता है।
5. उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करार अवधि के दौरान दोनों पक्षों को दो महीने की सूचना देकर करार को समाप्त किया जा सकता है।
6. निगम निविदा उपलब्धता की अवधि और/या बोलियां खोलने की तारीख बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

❖ गैर-प्रकटीकरण:

सेवा प्रदाता प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निगम की संरचना/प्रणालियों/उपकरणों आदि की किसी भी जानकारी या सामग्री और विवरण का खुलासा नहीं करेगा, जो इस निविदा और/या किसी तीसरे पक्ष के साथ समझौते के तहत अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करते समय सेवा प्रदाता के कब्जे या ज्ञान में आ सकता है और हमेशा इसे सख्त विश्वास में रखेगा। सेवा प्रदाता अनुबंध के विवरण को निजी और गोपनीय मानेगा, सिवाय इसके इसके दायित्वों को पूरा करने या लागू कानूनों का पालन करने के लिए आवश्यक सीमा तक। सेवा प्रदाता निगम की पिछली लिखित सहमति के बिना किसी भी व्यापार या तकनीकी पेपर या कहीं और कार्यों के किसी भी विवरण को प्रकाशित, प्रकाशित करने या प्रकट करने की अनुमति नहीं देगा। सेवा प्रदाता किसी भी गोपनीय जानकारी के प्रकटीकरण के कारण नियोक्ता को हुए किसी भी नुकसान के लिए निगम की क्षतिपूर्ति करेगा। उपरोक्त का पालन करने में विफलता को सेवा प्रदाता की ओर से अनुबंध के उल्लंघन के रूप में माना जाएगा, और निगम नुकसान का दावा करने और कानूनी उपचार करने का हकदार होगा। सेवा प्रदाता अपने कर्मचारियों के संबंध में सभी उचित कार्रवाई करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते के तहत गोपनीय जानकारी का खुलासा न करने के दायित्व पूरी तरह से संतुष्ट हैं। गैर-प्रकटीकरण और गोपनीयता के लिए सेवा प्रदाता का दायित्व किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति तक जीवित रहेगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक
गौरीपुर आरएलडी
जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

अनुलग्नक-I

एजेंसी का नाम: _____
Car संख्या: _____
Car प्रकार (मॉडल): _____
Passenger / लाभार्थी का नाम: _____
यात्री/लाभार्थी फोन नंबर: _____
रिपोर्टिंग/पिकअप पता: _____
Journey दिनांक: _____

गैराज बाहर ओडोमीटर पढ़ना	रिपोर्टिंग ओडोमीटर रीडिंग	रिपोर्टिंग समय	ड्रॉप अप/रिलीज ओडोमीटर रीडिंग	ड्रॉप/रिलीज का समय	पढ़ने में गैराज

अतिरिक्त शुल्क:

- पार्किंग शुल्क: _____
- टोल शुल्क: _____
- टिप्पणियाँ/नोट्स (यदि कोई हो): _____

प्राधिकरण

कार चालक का नाम: _____

उपयोग करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर

ड्राइवर के हस्ताक्षर: _____

केवल Office उपयोग

- प्रति किमी दर: _____
- यात्रा की गई वास्तविक किमी: _____
- गैराज किमी: _____

- यात्रा भत्ता: _____
- कुल राशि: _____

(मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)

अनुलग्नक-II

(निविदाकर्ता द्वारा विधिवत भरा हुआ)

तकनीकी बोली

एसएल नंबर	दस्तावेज का नाम	स्थिति
01	गौरीपुर या उसके आस-पास के क्षेत्र में पंजीकृत कार्यालय/स्थानीय कार्यालय के समर्थन में दस्तावेज	
02	साझेदारी सेवा प्रदाताओं के मामले में, साझेदारी समझौते की एक प्रति, या नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी प्रस्तुत की जानी चाहिए। सेवा प्रदाता के पंजीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।	
03	मालिक के पक्ष में कॉर्पोरेट बैंक खाते या खाते का दस्तावेजी साक्ष्य	
04	सेवा प्रदाताओं के पास सेवा प्रदान करने के लिए सभी असम और निकटवर्ती पश्चिम बंगाल नेटवर्क हैं	
05	सेवा प्रदाता के पास वैध पैन, जीएसटी (यदि कोई हो) और यदि एमएसएमई हो, तो प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए	
06	उन ग्राहकों का नाम, पता और संपर्क विवरण जहां सेवा प्रदान की जा रही है	
07	पैनल में शामिल उम्मीदवारों को जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है या किसी अन्य कंपनी / अनुबंध को जेसीआई या किसी अन्य कंपनी द्वारा समाप्त नहीं किया गया है और विक्रेता दिवालिया नहीं हुआ है। बोलीदाता के लेटरहेड में इस मामले के संबंध में एक घोषणा पत्र प्रदान की जानी चाहिए।	

अनुलग्नक-III

(निविदाकर्ता द्वारा विधिवत भरा गया)

मूल्य बोली

एसएल नंबर	वाहन का प्रकार	एसी के साथ प्रति किमी दर (₹ में)
01	सेडान (जैसे स्विफ्ट डिजायर या समकक्ष)	
02	उपयोगिता वाहन (जैसे इनोवा/बोलेरो/वृद्धिक या समकक्ष)	

❖ निरोध की अवधि के अनुसार ₹ प्रति KM के अलावा समय भत्ता:

एसएल नंबर	निरोध की अवधि (घंटों में)	भत्ता (₹ में)
01	04 घंटे तक	₹ 300.00
02	04-06 घंटे	₹ 400.00
03	06-08 घंटे	₹ 600.00
04	08 घंटे से अधिक	₹ 800.00

(मुहर के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर)